(39)

संख्या-3265/36-4-90-7(म0आ0)89

प्रेषक,

श्री मोहिन्दर सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

सेवा में,

श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

लखनऊ: दिनांक 29 नवम्बर, 1990

श्रम अनुभाग-4

विषय:- उत्तर प्रदेश में स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में अनधिकृत कब्जेदारों की संख्या के निदान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-233/36-4-88-134/85, दिनांक 21 जनवरी, 1988 के अनक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक श्रमिक बस्तियों की अनधिकृत कब्जेदारी/शिकमी किरायेदारी के संबंध में मानक किराये के निर्धारण के विषय में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या 1409/36-4-33(अ)/69, दिनांक 30 मई, 1974 में दिये गये पात्र व्यक्ति यदि श्रमिक बस्तियों में अनधिकृत कब्जेदार/शिकमी किरायेदार की श्रेणी में आते हैं तो ऐसे कब्जेदारों से किराये की वसूली उनके द्वारा श्रमिक बस्ती में कब्जेदारी की तिथि से निम्नलिखित दरों से मानक किराये की वसूली की जायेगी :-

(1) एक कमरे वाले गृह का किराया 125 रूपये प्रतिमाह की दर से ।
(2) दो कमरे वाले गृह का किराया 235 रूपये प्रतिमाह की दर से ।

2. जो पात्र व्यक्ति नियमानुसार श्रमिक बस्तियों में आवंटन आदेश प्राप्त करने के पश्चात् अधिकृत कब्जेदार की श्रेणी में आते हैं, उनसे पुराने निर्धारित दरों से किराया वसूल होता रहेगा । पानी और बिजली आदि के बारे में पहले ही आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

भवदीय,

ह0/-(मोहिन्दर सिंह)
सचिव ।

संख्या-3265(1)/36-4-90-7(म0आ0)/89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
2. श्रम विभाग के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

ह0/-(बिहारी लाल)
संयुक्त सचिव ।